(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1684–तीन/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–6–2006 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 454/अपील/04–05

.....

महेन्द्र सिह पुत्र बलवंत सिह यादव
निवासी ग्राम लहरघाट तहसील व
जिला गुना म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मोहन पुत्र रमचंदी
2–सीताराम पुत्र ग्यारसी
3–चंदूमान पुत्र भरोसा
4–मुनेश पुत्र रमचंदी
समस्त निवासी ग्राम लहरघाट
तहसील व जिला गुना म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक–आवेदक
श्री बृजेन्द्रसिंह धाकड़, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 7/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–6–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय गुना द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र पर ग्राम लहरघाट तहसील व जिला गुना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 3/1/4 का नक्शा संशोधन दिनांक 28–6–2004 के आदेश से किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23–4–2005 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण आवश्यक निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–6–2006 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय तौर से आदेश पारित किया गया है जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार उभयपक्ष को सूचना दी जाकर नक्शे में तरमीम की गई है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया गया है कि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नम्बर 3 शासकीय भूमि है जिसका पट्टा अनावेदकगण को दिया जाकर विधिवत् बटांकन कर दिया गया था, अतः पुनः नक्शा तरमीम करने में तहसील न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई थी, अतः तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया

गया है अतः तहसील न्यायालय में आवेदकगण को अपना पक्ष–समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा एक बार प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नम्बर 3 शासकीय भूमि है, जिसका पट्टा अनावेदकगण को दिया जाकर विधिवत् बटांकन कर दिया गया था, अतः बटांकन को बिना किसी आधार के संशोधन करने का अधिकार विचारण न्यायालय को नहीं होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा नक्शा संशोधन का आदेश पारित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस तथ्य पर विचार करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है, जो वैधानिक दृष्टि से न्यायिक कार्यवाही है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः अधीनस्थ दोनों अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–6–2006 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर